

निर्णय बड़जलास काना राम (आई.ए.एस.) जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,  
सवाई माधोपुर

प्रकरण संख्या 07/2026 (धारा 14 सिक्वोरिटाईजेशन)

जीसीएमएस नं० 2026/50

इण्डिया शेल्टर फाईनेन्स कोर्पोरेशन लिमिटेड .....प्राथी

बनाम

1. श्रीमती प्यारी देवी पत्नी श्री दामोदर गुर्जर पता- ग्राम जाजेडा, तहसील चौथ का बरवाडा जिला सवाई माधोपुर (राज०) 322702
2. श्री मुरारी लाल पुत्र श्री दामोदर गुर्जर पता- ग्राम जाजेडा, तहसील चौथ का बरवाडा जिला सवाई माधोपुर (राज०) 322702

.....अप्राथी/ऋणी

The Application under section 14 of the securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002

--: आदेश :-

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्राथी बैंक ने अप्राथी ऋणी को दिनांक 18.03.2024 को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के ऋण के रूप में श्रीमती प्यारी देवी पत्नी श्री दामोदर गुर्जर पता- ग्राम जाजेडा, तहसील चौथ का बरवाडा जिला सवाई माधोपुर की सम्पत्ति पट्टा सं. 08 बुक संख्या 01 बहक मुरारी पुत्र दामोदर गुर्जर, ग्राम जाजेडा ग्राम पंचायत रजवाना पंचायत समिति चौथ का बरवाडा जिला सवाई माधोपुर में स्थित है, जिसके जमीन के पडौसी पूर्व में आम रास्ता सरकारी विद्यालय कंवरपुरा का, पश्चिम में स्वयं का बाडा, उत्तर में मियाराम गुर्जर का मकान व दक्षिण में मंदिर श्री ठाकुर जी का है, जिसका क्षेत्रफल 218.91 वर्ग गज है, को बंधक रखकर 7,34,400/- (सात लाख चौतीस हजार चार सौ रुपये मात्र) की ऋण सुविधा उपलब्ध कराने हेतु स्वीकृति जारी की गयी थी, किन्तु अप्राथी ऋणी द्वारा ऋण की किश्ते नहीं देने के कारण अप्राथी ऋणी को 2,20,320/- (दो लाख बीस हजार तीन सौ बीस रुपये मात्र) की ऋण राशि ही जारी की गयी थी। अप्राथी ऋणी द्वारा प्राथी बैंक को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्राथी ऋणी को दिनांक 12.08.2025 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये जाने के साथ ही दिनांक 08.11.2025 को समाचार पत्र में साया करवाये जाने के बावजूद बकाया ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्राथी बैंक ने उक्त अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बतौर जमानत रहन रखी गई उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।
2. अप्राथीगण को सुनवाई हेतु जरिये नोटिस तलब किया गया किन्तु बावजूद तामिल नोटिस अप्राथीगण नियत दिनांक को उपस्थित नहीं हुए।
3. सुयोग्य बैंक प्रतिनिधि को सुना। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।
4. प्रकरण में प्राथी बैंक द्वारा दिनांक 12.08.2025 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये जाने के साथ ही दिनांक 08.11.2025 को समाचार पत्र में साया करवाया गया, लेकिन ऋण पेटे शेष राशि का भुगतान नहीं किया गया। अतः उक्त अधिनियम की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्राथी बैंक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्राथी ऋणी की ओर से प्राथी बैंक के पक्ष में बंधक सम्पत्ति पट्टा सं. 08 बुक संख्या 01 बहक मुरारी पुत्र दामोदर गुर्जर, ग्राम जाजेडा ग्राम पंचायत रजवाना पंचायत समिति चौथ का बरवाडा जिला सवाई माधोपुर में स्थित है, जिसके जमीन के पडौसी पूर्व में आम रास्ता सरकारी विद्यालय कंवरपुरा का, पश्चिम में स्वयं का बाडा, उत्तर में मियाराम गुर्जर का मकान व दक्षिण में मंदिर श्री ठाकुर जी का है, जिसका क्षेत्रफल 218.91 वर्ग गज है, का भौतिक रूप से कब्जा प्राथी बैंक द्वारा जरिये संबंधित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।
5. आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक सवाई माधोपुर एवं प्राथी बैंक/अप्राथी को हस्त कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।
6. आदेश आज दिनांक 13.5.2026 को सुनाया गया।

(काना राम)  
जिला मजिस्ट्रेट  
सवाई माधोपुर